# न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

GCMS: 2023/467

अपील संख्याः 269/2023

बाबूलाल पुत्र भगवान सहाय, जाति मीणा, निवासी ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

...अपीलांट

बनाम

1. रामकुंवार पुत्र श्री प्रभात मीणा
2. धन्नाराम पुत्र प्रभात मीणा
3. रामफुल पुत्र भगवानसहाय मीणा
4. रामस्वरूप पुत्र भगवानसहाय मीणा
5. राजूराम पुत्र भगवानसहाय मीणा
6. नैना देवी पत्नी भगवानसहाय मीणा
7. मूली देवी पुत्री भगवानसहाय मीणा
   समस्त निवासी ग्राम बिलोद तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार जमवारामगढ तहसील जमवारामगढ, जिला जयपुर।

रेस्पाडेन्टस

9. पूरण मल पुत्र भगवान सहाय
10. रामा देवी पत्नी भगवान सहाय
11. श्री किशन पुत्र भगवान सहाय
    समस्त जाति मीणा निवासी ग्राम बिलोद, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर।

..... तरतीबी रेस्पाडेन्ट

अपील अर्न्तगत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर आदेश दिनांक 07.03.2019 बसिलसिला कमांक/एलआर/19/1003

---

उपस्थितः–

1. श्री जितेन्द्र कुमार पारीक अधिवक्ता अपीलांट की ओर से।
2. रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा उपस्थित।
3. रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 3 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता श्री कान्ता प्रसाद शर्मा उप0।
4. रेस्पाडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित।

अतिरिक्त कलक्टर (ग्रामीण) न्यायालय जयपुर

## निर्णय

दिनांकः 01.11.2023

अपीलांट ने यह अपील ग्राम बिलोद स्थित भूमि खसरा नंबर 658, 658/764 के संबंध में पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 07.03.2019 से असंतुष्ट होकर दिनांक 11.06.2023 को न्यायालय में प्रस्तुत की है। अपील अपीलांट्स प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब करने तथा रेस्पाडेन्ट को नोटिस जारी करने के आदेश दिये गये। रेस्पाडेन्ट संख्या 2 की ओर से अधिवक्ता श्री मुकेश शर्मा उपस्थित आये। रेस्पाडेन्ट संख्या 1 एवं 3 लगायत 7 की ओर से अधिवक्ता की ओर से अधिवक्ता श्री कान्ता प्रसाद शर्मा उपस्थित आये। शेष रेस्पाडेन्ट संख्या 8 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित। वकील पक्षकारान की सहमति से पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के आधार पर पत्रावली बहस हेतु नियत की गई तथा पत्रावली पर बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्ष सुनी गई।

अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर (ग्रामीण)

विद्वान अधिवक्ता अपीलांट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट के पिता भगवान पुत्र भोरया ने ग्राम बिलोद तहसील जमवारामगढ में स्थित अपने नाम की आराजी कृषि भूमि खसरा नंबर 656 रकबा 18 बीघा 19 बिस्वा में से 3 बीघा 10 बिस्वा को रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पाडेन्ट संख्या 3 लगायत 5 व 7 के पिता व रेस्पा. संख्या 6 के पति को विकय कर दी। जिसका नामान्तकरण राजस्व रिकॉर्ड में खोला गया। कयशुदा भूमि का रेस्पाडेन्ट्स ने अपनी कयशुदा भूमि की तहसीलदार जमवारागढ से तरमीम करवाने की कार्यवाही की जिसके चलते अपीलांट को रेस्पा0 ने यह विश्वास दिया कि जितनी जमीन कय की गई है उसी भूमि के नक्शे की तरमीम करवाकर राजस्व नक्शे में अमल दरामद करवाया जायेगा तथा कय की गयी भूमि का अलग से खाता कायम करवाया जायेगा। परन्तु रेस्पाडेन्ट्स ने बदनीयती से कयशुदा भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा से ज्यादा भूमि का रेस्पा0 ने 4 बीघा भूमि का नक्शा राजस्व नक्शे में कायम करवा लिया। जब रेस्पाडेन्ट अपनी कय की गयी भूमि से अधिक पर दिनांक 04.10.2022 को कब्जा करने लगे तो अपीलांट को रेस्पा0 ने कहा कि रेस्पाडेन्ट तो नक्शे के अनुसार जमीन पर कब्जा करके रहेगें। रेस्पा0 संख्या 8 को किसी भी रूप से अपीलाधीन आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था वह रजिस्टर्ड विकय पत्र में वर्णित विकयशुदा भूमि 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि से बाहर जाकर अपने मनमर्जी से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि के स्थान पर 4 बीघा भूमि के नक्शे की तरमीम खसरा नंबर 658 में करते हुए नया खसरा नंबर 658/764 कायम कर दिया। अधिक भूमि की गई नक्शें में तरमीम विधि विधान के विरूद्ध है। इसलिए तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2019 निरस्त किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट अन्दर मियाद स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2019 कमांक/एलआर/19/1003 को निरस्त फरमाया जावे।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 2 ने कथन किया कि प्रथम दृष्टया अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील मेन्टेनेबल नहीं है प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा कोई आदेश/निर्णय पारित नहीं किया गया है केवल नक्शें में तरमीम हेतु स्वीकृति प्रदान की है। अपीलांट द्वारा अपील गलत तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत की है। वर्तमान में जमाबन्दी व नक्शें में भी अपीलांट एवं रेस्पाडेन्ट के हिस्से में भूमि कमशः 3.90 है0 एवं 0.89 है0 है इसलिए अपील को आगे चलाने कोई औचित्य नहीं है। अपीलांट द्वारा आदेश के 4 वर्ष बाद अपील पेश की है इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्धान अधिवक्ता रेस्पाडेन्ट संख्या 1 व एवं रेस्पाडेन्ट संख्या 3 लगायत 7 द्वारा अधिवक्ता रेस्पा. संख्या 2 के कथनों पर सहमति व्यक्त करते हुए कथन किया कि अपील अपीलांट सहमति के आदेश के विरूद्ध पेश की गयी है इसलिए अपील अपीलांट खारिज की जावे।

विद्धान अधिक्ता पैरोकार सरकार ने कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा न्यायोचित आदेश पारित किया है अपील अपीलांट खारिज की जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

हमने विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन से जाहिर है कि अपीलांट के पिता द्वारा अपने ग्राम बिलोद तह. जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 658 में से 3 बीघा 10 बिस्वा भूमि रेस्पा0 संख्या 1 व 2 रामकुवार, धन्ना एवं रेस्पा0 संख्या 3 लगायत 7 के पिता भगवान सहाय मीणा को जरिये रजि0 विकय पत्र दिनांक 30.09.1998 को बेचान कर दी। अपीलांट की भूमि खसरा नंबर 658 एवं रेस्पा0 की कयशुदा भूमि का खसरा नंबर 658/764 आदिनांक को जमाबन्दी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। प्रकरण में दिनांक 27.02.2019 को ग्राम बिलोद स्थित खसरा नंबर 658 एवं 658/764 के DILRMP योजना के अर्न्तगत नक्शे की तरमीमों को अपडेट हेतु मौके पर पटवारी हल्का गये नक्शे में खसरा नंबर 658 का ही नक्शा बना हुआ था जबकि मौके पर खसरा नंबर 658 एवं 658/764 होने के कारण उक्त दोनो खसरा नंबरो की तरमीम हेतु मौका एवं कब्जे की जांच की गयी एवं कब्जा अनुसार खसरा नंबर 658 रकबा 3.90 हैक्टेयर एवं खसरा नंबर 658/764 रकबा 0.89 है0 की रिपोर्ट पटवारी हल्का द्वारा की गयी। खातेदारो द्वारा मौके पर कब्जे अनुसार तरमीम की सहमति प्रदान की गयी एवं पटवारी हल्का द्वारा तैयार रिपोर्ट को तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा दिनांक 07.03.2019 को स्वीकृति प्रदान की गयी। वर्तमान जमाबन्दी में भी खसरा नंबर 658/764 का रकबा 0.89 हैक्टेयर विद्यमान है एवं पटवारी हल्का द्वारा बनायी गयी रिपोर्ट दिनांक 27.02.2019 में भी खसरा नंबर 658/764 का रकबा 0.89है. उल्लेखित है किन्तु पटवारी हल्का द्वारा उपतसहीलदार ताला को प्रेषित रिपोर्ट दिनांक 23.08.2023 अनुसार वर्तमान हाल नक्शा में खसरा नंबर 658/754 रकबा 0.89 हैक्टेयर है जबकि भूमि की रकबा बरारी के अनुसार खसरा नंबर 658/754 का रकबा 0.97 है। प्रथम दृष्टया अपीलाधीन प्रकरण राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन का नहीं होकर राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्वि का प्रतीत होता है साथ ही राजस्व नक्शे में तरमीम शुद्वि बाबत श्रवण क्षेत्राधिकार न्यायालय हाजा को प्रदत्त नहीं है। अतएव पक्षकारान के मध्य सुविधा संतुलन की दृष्टि से अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार किया जाना उचित समझते है।

अतः अपील अपीलांट आंशिक स्वीकार की जाकर प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ द्वारा ग्राम बिलोद तहसील जमवारामगढ स्थित भूमि खसरा नंबर 658, 658/764 के संबंध में पारित स्वीकृति आदेश कमांक/एलआर/19/1003 दिनांक 07.03. 2019 यथावत रखा जाता है साथ ही प्रकरण में तहसीलदार जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में उभय पक्ष को सुनवाई का अवसर प्रदान कर, अपीलांट द्वारा रेस्पा0 को विकय पत्र अनुसार विकय की गयी भूमि एवं खातेदारो के मौके पर कब्जे के अनुसार प्रकरण में नक्शे में तरमीम हेतु अग्रिम कार्यवाही की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर बाद तामील तकमील दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 01.11.2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(दिनेश कुमार शर्मा)
अति0 जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)